न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/2011 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00027

उनवान

1. मरियम वेवा स्व0 रमजानी } निवासी कस्बा वैर जिला भरतपुर
2. सुमेर खॉ पुत्र स्व0 रमजानी }
3. अमीन खॉ पुत्र स्व0 रमजानी }
4. श्रीमती अशरफी वेवा स्व0 गुलाबनवी पुत्री स्व0 रमजानी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
5. स्वरूप पुत्री स्व0 रमजानी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. श्रीमती खटून पुत्री स्व0 रमजानी पत्नी कडू उर्फ अयूब निवासी पावटा तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर।
7. सामत पुत्र सम्पतिया जाति गददी निवासी कस्बा वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रसूल पुत्र फौंदा जाति गददी निवासी कस्बा वैर जिला भरतपुर।
2. सक्को पत्नी रहमत उर्फ चक्खन } जाति गददी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला
3. कलुआ पुत्र रहमत उर्फ चक्खन } भरतपुर।
4. कपूरन पत्नी अब्दुल हैड निवासी महानंदपुर उकी दूडिया तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 21.03.2011 प्र. संख्या 02/05 उनवानी रमजानी बनाम रसूल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 21.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर वैर जिला भरतपुर ने वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला जोधा तहसील वैर का सनद पट्टा, भूरे पुत्र महराव व रहमत उर्फ चक्खन व रसूल पिसरान फोंदा के हक में वहिस्सा बाराबर आदेश दिनांक 12.05.1970 से किया गया। जिसको निरस्त कराये जाने बाबत् वादी/अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से खारिज फरमा दी। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व मौके के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विद्वान हर दो अदालत तहत ने रैस्पो0 के पक्ष में इकतरफा में सनद जारी करके भारी भूल की है, जबकि सनद जारी से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। क्योंकि अपीलाण्ट व रैस्पो0 एक ही पूर्वज इमाम बक्स की संतान हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान में अपीलाण्ट का निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है एवं उक्त खसरा नम्बरो में अपीलाण्ट का कूआ एवं आम, लिसौडा, नीम, गूलर के पेड लगे हुये हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि जमाबन्दी टोल बांध मौजापुरिया पाटा, वैर संवत 2000 में मालिक के खाने में अपीलाण्ट के पिता रमजानी व सांमत का नाम लिखा हुआ है तथा प्रमाणित वंशावली से भी अपीलाण्ट व रैस्पो0 का एक ही पूर्वज की संतान होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर को विवादित आराजी में अपीलाण्ट को 1/4 हिस्से के हिसाब से सनद जारी करनी चाहिए थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं किया कि अवैध आदेश के खिलाफ कभी भी अपील की जा सकती है अवैध आदेश के खिलाफ अपील करने के लिये कोई मियाद नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, दोनों अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.1970 की अपील लगभग 35 साल बाद की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी कथन है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही उनका विवादित आराजी से कभी कोई संबंध सारोकार रहा है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की गयी है। हम पाते हैं कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर वैर जिला भरतपुर के आदेश दिनांक 12.05.1970 की प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष दिनांक 10.05.2005 को लगभग 35 वर्ष पश्चात, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि उनके अभिभाषक द्वारा सनद की अपील करने बाबत् सलाह बतलाने पर दिनांक 07.05.2005 को जानकारी हुई और नकल प्राप्त की जानकारी की दिनांक और नकल मिलने से अपील अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की है, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर वैर के आदेश दिनांक 12.05.1970 की जानकारी ना होना एवं 35 वर्ष तक उक्त आदेश की अपील की सलाह नहीं मिलने बाबत् क्या परिस्थितियॉ रही, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं की हैं। यह सही है कि उचित कारण होने पर विलम्ब को क्षमा करते हुए, अपील पर सुनवाई की जा सकती है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 35 वर्ष की सुदीर्घ विलम्ब का कोई सारपूर्ण कारण नही है। इस स्थिति में विलम्ब को क्षमा करना न्यायिक प्रावधानों का दुरूपयोग होगा। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील, उचित ही मियाद के बिन्दु पर खारिज की गयी है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसका विश्लेषण भी प्रासंगिक है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने तर्को के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक कथन प्रभावहीन है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये रेस्पो0 को पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण के 35 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 21.03.2011 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाये जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official